न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः— महेश गगोरिया , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या—16/2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

कान्ता बाई पत्नी नन्द लाल, जाति खटीक, उम्र 62 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी खटीको का मोहल्ला जावदा, तहसील रावतभाटा, थाना जावदा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थीया

विरूद्व

1. रामलाल पिता देवी लाल, जाति कुमावत, उम्र 60 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी जावदा, तहसील रावतभाटा, , थाना जावदा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. सुन्दर लाल पिता भागीतथ, जाति खटीक, उम्र 58 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी जावदा, तहसील रावतभाटा, , थाना जावदा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

...........विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम

प्रार्थी की ओर से उपस्थित :— **श्री आजाद हुसैन**
अप्रार्थी की ओर से :— **पेरोकार सरकार।**

दिनांकः— 21.05.2025

—:आदेशः—

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा जावदा प0ह0 जावदा, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या नया 18 पुराना 15 खसरा संख्या 311, 312, 313, 314 कुल किता 04 कुल रकबा 1.52 हैक्टेयर लगान 31.08 भूमि प्रार्थीया के नाम सम्पूर्ण खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीया ने प्रार्थना—पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 311, 312, 313, 314 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थीया के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीया ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीया की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीया को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया— प्रार्थीया उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीया का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौजा जावदा प0ह0 जावदा, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या नया 18 पुराना 15 खसरा संख्या 311, 312, 313, 314 कुल किता 04 कुल रकबा 1.52 हैक्टेयर लगान 31.08 भूमि प्रार्थीया के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे [illegible] सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर [illegible] विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 [illegible] में इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/—रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थीया [illegible] वसूल किये जावे। प्रकरण [illegible] रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.05.27 13:44:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with OKEN Scanner